समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याःम.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : 10/– रू.

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 15 अंकः 20 भोपाल दि.–25.10.2018

(परिपत्र क्र. 57–58)

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

शुभ लाभ

अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, संस्था के सभी सदस्यों व कार्यालय के समस्त स्टाफ की ओर से आप, आपके परिवार एवं प्रतिष्ठान के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दीपावली का पावन पर्व आपके व्यापार–व्यवसाय, परिवार के लिए सुख एवं समृद्धि दायक हों, सभी के लिये नव वर्ष मंगलकारी हो।

विपिन कुमार जैन
महासचिव

कैलाश अग्रवाल
अध्यक्ष

सम्पादन सहयोगीः **कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील गोठी**

M.P. Small Scale Industries Organization
E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

परिपत्र क्रमांक : 57

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना (दिनांक 09.07.2018 तक संशोधित) के अन्तर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र /बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

12. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायताः

12.1 ''म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017'' की प्रभावशील अवधि में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फिट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।

12.2 संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–6)** में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म.प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगीः–

12.2.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए। निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न लेने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी /निवेशक को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छःमाह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा। उक्त अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.2.2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे, परंतु औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु प्रदत्त कुल समय संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

12.2.3 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

12.2.4 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–7)** में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र **(परिशिष्ट–8)** निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगाः–

(i) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।

(ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने में हुए व्यय (कंडिका 12.2.3 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतिओं की प्रमाणित प्रतियां।

* * * * *

परिशिष्ट–6

निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषयः– निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला.....(मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति (नियम 12) बावत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :
02. सम्पर्क का पता :
    दूरभाष
    फैक्स
    ई–मेल
03. पंजीकृत कार्यालय का पता :
    दूरभाष
    फैक्स
    ई–मेल
04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :
    स्थान/नगर
    विकासखण्ड
    तहसील
    जिला
05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में):
    बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फीट में):
    (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रति):
06. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसरः
    के स्वामी/लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें)
07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में:
    प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच):
08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसरः
    की स्थापना/विकास में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश
    का संक्षिप्त विवरण (नक्शा व प्लाट ले–आउट संलग्न करें)
09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसरः
    की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की प्रस्तावित
    दिनांक (चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः
दिनांकः
स्थानः

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर
नाम.....
पद.....
(सील)

परिशिष्ट–7

''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता बावत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.....मध्यप्रदेश।

विषयः– ''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बावत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला.....(मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना की गई है। ''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :
(निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक
परिसर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)
02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष एवं ई–मेल
03. पंजीकृत कार्यालय का पात :
दूरभाष एवं ई–मेल
04. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसरः
का स्थल का पूर्ण पता
05. निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में) :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र
(वर्ग फीट में) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित):
06. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिकः
परिसर में स्थापित उद्योगों के नामः
न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न)
07. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा :
अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न)
08. उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय
अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित/विकसित करने
हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो
(आदेश की प्रति संलग्न करें)
10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक

कृपया ''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नः
दिनांकः
स्थानः

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर
नाम.....
पद.....
(सील)

परिशिष्ट–8

''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि :–

1. मेरे/हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.....में ''मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017'' अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक.....में दी गई जानकारी सत्य हैं।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ/हैं।

3. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियॉ आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

5. मैं/हम इकाई/उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को प्रारंभ/उन्नयन दिनांक से कम से कम 5 वर्षों तक उत्पादनरत/कार्यरत रखूँगा/रखेंगे।

स्थानः.....

दिनांकः.....

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामः.....

(सील)

Ref.: MPSSIO/23 /2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 58

क्रमांकःएमपीएसएसआईओ / 23 / 2018–19 / 554 दिनांकः 22.10.2018

प्रति,

श्री पंकज अग्रवाल
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अनुदान देने हेतु निर्धारित प्लांट एवं मशीनरी की परिभाषा में संशोधन बावत्।

महोदय,

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि म.प्र. शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा में निम्न संशोधन किया गया है।

''प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन के लिए संयंत्र और मशीनरी का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किन्तु इसमें भूमि और रिहायशी इकाईयॉ (dwelling units) शामिल नही होगी।''

इस विषय मे हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा उपरोक्त वर्णित संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा संशोधित करने की कृपा करें। जिससे प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अनुदान प्राप्त हो सकें। आपके सन्दर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(विपिन कुमान जैन)
महासचिव

वर्षः 15	अंकः 20	दि.– 25.10.2018

Posted on 15th and 30th of Every Month

मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय

//आदेश //

क्रमांकः एफ–16–18/2013/बी–ग्याहर भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2018

राज्य शासन एतद् द्वारा निवेशकों से प्राप्त सुझावों एवं अन्य राज्यों द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं को दी जा रही सुविधाओं के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) की कंडिका क्रमांक 10.3 में यंत्र एवं संयंत्र की परिभाषा को विलोपित करते हुए प्लांट एवं मशीनरी की परिभाषा 2017 में किये गये संशोधन के पूर्ववत् निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गयाः–

"प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन के लिए संयंत्र और मशीनरी का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किन्तु इसमें भूमि और रिहायशी इकाईयॉं (dwelling units) शामिल नही होगी।"

2/ इस हेतु वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यमप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (यथा संशोधित 2017) इस आशय तक संशोधित मान्य की जावें।

3/ उपरोक्त संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा तथा साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू होगा जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक इस आदेश के जारी होने के दिनांक के बाद हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/–
(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

MPSSIO की ओर से **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित, संपादक **विपिन कुमार जैन** Ph.: 0755–2467714, 4296168 ema[redacted]
Website: www.mplus.co.in